

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या- 31 /2018/ 2478 /सत्ताईस-1-2017-7(1)/18  
लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2018

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 के अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर स्थानान्तरित/पदस्थापित/अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है:-

क्र.सं०	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती (पदस्थापना/अतिरिक्त कार्यभार)
1	2	3	4
1	त्रिलोक चन्द्र शर्मा	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ तथा मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला के पद का अतिरिक्त कार्यभार।
2	आलोक कुमार जैन	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (सरयू-2), गोण्डा।
3	प्रभुदत्त शर्मा	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (वाल्मी) लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता प्रशिक्षण अकादमी, ओखला के पद का अतिरिक्त कार्यभार।
4	रामायण प्रकाश	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (आई0एस0ओ0) लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) लखनऊ के पद का अतिरिक्त कार्यभार।
5	हेमन्त कुमार गुप्ता	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), लखनऊ।
6	विजय कुमार बसेडिया	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-4/6) लखनऊ।
7	राकेश कुमार गुप्ता	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) लखनऊ।
8	चन्द्र भान राम	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बजट) लखनऊ।
9	जगदीश सिंह	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना), झांसी।
10	चन्द्रशेखर विश्वकर्मा	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) लखनऊ।
11	अनिल कुमार सिंह सैंगर	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (पैक्ट) लखनऊ।

2- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

3- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अनीता वर्मा सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या: 31 /2018/ 24)8 (1)/27-1-2018- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
/m  
(ओ0पी0 सिंह)  
अनु सचिव।